



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, पर्यावास भवन, सेक्टर-19 नया ब्लाक, नया रायपुर
www.cghb.gov.in

!! संपदा प्रबंधन !!

आदेश

क्रमांक 79/2016

दिनांक 21 / 11 / 2016

विषय:- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के भाड़ाक्रय योजनांतर्गत आबंटियों को बकाया राशि जमा करने पर विलंबित अवधि दण्ड ब्याज में छूट।

--000--

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के आदेश क्रमांक 19/2016, दिनांक 04.04.2016 एवं 50वाँ मण्डल सम्मिलन दिनांक 22.04.2016 की पद संख्या 14, संकल्प क्रमांक 1392-14/50/4/2016 द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए भाड़ाक्रय योजनांतर्गत आबंटित एच.आई.जी./एम.आई.जी. भवनों के विरुद्ध बकायादारों को पूर्ण अवशेष राशि जमा करने पर दण्डिक ब्याज में 50% एवं एल.आई.जी./ई.डब्ल्यू.एस. भवनों के विरुद्ध बकायादारों को दण्डिक ब्याज में 100% छूट की अवधि दिनांक 30 अप्रैल 2016 तक वृद्धि की गयी है एवं पुनः मण्डल सम्मिलन के अनुमोदन की प्रत्याशा में आदेश क्रमांक 54/2016 दिनांक 15.06.2016 द्वारा दिनांक 15 जून 2016 से दिनांक 15 जुलाई 2016 तक समयावधि में वृद्धि की गई है।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 51वाँ मण्डल सम्मिलन दिनांक 24.09.2016 की पद संख्या क्रमांक 07 के पारित संकल्प क्रमांक 1426-07/51/09/2016 में मण्डल द्वारा दीर्घ विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए उपरोक्तानुसार आदेश क्रमांक 54/2016 दिनांक 15.06.2016 द्वारा की गई कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए अन्य सभी प्रकार के आवश्यक निर्णय एवं कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया गया।

आदेशानुसार

मुख्य संपदा अधिकारी

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल


मुख्यालय, पर्यावास भवन, नया रायपुर

पृ.क्र. 2609 /आ.आ./स.प्र.शा./मुख्या/फा.नं.-185/16 नया रायपुर, दिनांक 21 / 11 / 2016
प्रतिलिपि:-

1. स्टॉफ ऑफिसर माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
2. निज सचिव आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
4. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
5. मुख्य संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।

क्रमशः-02

6. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
7. प्रशासकीय अधिकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
8. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
9. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, वृत्त-रायपुर/वृत्त-नया रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर।
10. संपदा अधिकारी/लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
11. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय शंकर नगर रायपुर।
12. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग-01,02,03,04 रायपुर/राज. परि.संभाग-1,2,रायपुर/संभाग-दुर्ग/राजनांदगांव/बिलासपुर/कोरबा/रायगढ़/धमतरी/कवर्धा/ महासमुन्द/जगदलपुर/कोण्डागांव/अंबिकापुर/विद्युत संभाग 01 नया रायपुर/विद्युत संभाग 02 रायपुर/विद्युत संभाग-03 बिलासपुर।
13. संपदा अधिकारी, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01/02/03,04,05 रायपुर/दुर्ग/राजनांदगांव/कवर्धा /बिलासपुर/रायगढ़/कोरबा/अंबिकापुर/कोण्डागांव/जगदलपुर/धमतरी/महासमुन्द/की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
14. आई.टी.शाखा, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
15. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल।



मुख्य संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, पर्यावास भवन, नया रायपुर